सूचना अधिनियमए 2005 के धारा 4 (1) बी के अतंर्गत 25 बिन्दुओ की विभाग की जानकारी

1 संगटन कृत्य तथा कर्तव्यों की विशिष्टताएॅ। - हॉयपरलिंक

उद्देश्य, ध्येय, दायित्व, उपलब्धियां एवं गतिविधियां

1 विभाग के उद्देश्य

1. भारत सरकार आयुष मंत्रालय/ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (National Commission of Indian Medicine) तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (National Commission of Homoeopathy) के मापदण्डों का पालन करते हुए आयुष पद्धतियों की उच्च गुणवत्तायुक्त चिकित्सीय शिक्षा के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पद्धति के योग्य चिकित्सकों का निर्माण करना।
2. अनुसंधानात्मक, शोधात्मक गतिविधियों को बढावा देना।
3. आयुष के पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना।
4. आयुष महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के माध्यम से विशेषज्ञ स्तरीय चिकित्सा सेवायें प्रदान करना।
5. चिकित्सालयों, आयुष विंग तथा औषधालयों के माध्यम से नागरिकों को आयुष चिकित्सा सेवायें व स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराना ।
6. विभागीय संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों को आयुष चिकित्सीय सेवायें प्रदान करना।
7. हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर्स के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु योग एवं नियमित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करना।
8. औषधि निर्माण अनुज्ञा (लाइसेंस) प्रदान करना।
9. प्रदेश में निर्मित व विक्रय की जाने वाली आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण। ड्रग टेस्टिंग लैब का संचालन।
10. वनस्पति एवं वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन से संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
11. म0प्र0 आयुर्वेद यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा राज्य होम्योपैथी परिषद् द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन एवं अधिकारों का संरक्षण।

2 विभागीय ध्येय :–

1. नागरिकों को आयुष स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।
2. उच्च स्तरीय योग्य चिकित्सक निर्माण करना।
3. अनुसंधानात्मक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना।
4. गुणवत्ता युक्त औषधियां की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
5. विभागीय गतिविधियों को विधिक प्रावधानों, नियमों के तहत संचालित करना।

3 विभागीय दायित्व :–

1. आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
2. इन चिकित्सा पद्धतियों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देकर योग्य चिकित्सक तैयार करना।

3. प्रदेश में आयुष का शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास, उन्नयन एवं नियंत्रण।
4. शासकीय (स्वशासी) तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही।
5. निजी क्षेत्रों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय खोलने तथा मान्यता प्रदान करने के संबंध कार्यवाही करना।
6. शासकीय आयुर्वेद एवं यूनानी एवं निजी क्षेत्र की फार्मेसी में गुणवत्तायुक्त औषधियों का निर्माण।राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सा व्यवसाय हेतु पंजीयन।
7. प्रदेश में निर्मित एवं विक्रय की जाने वाली आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण।
8. शासकीय आयुष संस्थाओं से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे नागरिकों को निःशुल्क औषधि वितरण।
9. मध्यप्रदेश आयुर्वेद यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा राज्य होम्योपैथी परिषद द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन एवं अधिकारों का संरक्षण
10. वनस्पति एवं वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन आदि हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना ।
11. संभागीय आयुष अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी, अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद/यूनानी फार्मेसी, प्रधानाचार्य, शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी महाविद्यालयों के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों का प्रशासकीय नियंत्रण एवं सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन।
12. आयुष चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी) सेवाओं संबंधी सभी विषयों जिनका संचालनालय से संबंध हो, उदाहरणार्थ नियुक्ति, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति, पदोन्नतियां, सामान्य भविष्य निधियां, विभागीय जॉच तथा दण्ड आदि कार्यों का सम्पादन/क्रियान्वयन।